Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आम्बेडकर के श्रम कल्याण सम्बंधी विचारों का अध्ययन

श्रीमती चित्रमाला भिमटे*

***सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय जे.एस.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – आधुनिक युग में समाज एवं श्रम के क्षेत्र में श्रमिकों का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और समाज में अनेक संस्थाओं के कार्यों की सक्षमता श्रमिको में कार्य करने की क्षमता पर ही निर्भर हो गई है । श्रमिक समाजरुपी रथ की धुरी के समान है, जीवन एवं विकास के किसी भी क्षेत्र में श्रमिक के अस्तित्व को इन्कार नहीं किया जा सकता । दुसरे शब्दों में श्रमिक समाज के सच्चे विश्वकर्मा होते है, जिनके परिश्रम के बल से ही पेट में पलने वाले शिशु से लेकर कब्र में पांव लटकाये मानव का भरण–पोषण एवं संरक्षण होता है। किन्तु यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना रही है कि यहाँ श्रमिकों की उपेक्षा की जाती है, जो कि उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन है, जिसका कुप्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन रखे आय पर पड़ता है। इन्हीं श्रमिका के सर्वांगीण विकास के लिए महान मनीषी डॉ. अम्बेडकर ने अथक प्रयास किये ।

डॉ. आम्बेडकर का चिन्तन सामाजिक, आर्थिक, समतामूलक समाज की स्थापना पर आधारित है। डॉ. आम्बेडकर 1942 में गर्वनर जनरल आफ इण्डिया की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य बने । डॉ. आम्बेडकर ने 1942–1946 के कार्यकाल में श्रमिकों के लिए विशेषतौर पर सुविधायें दी गई जो खान अधिनियम 1952 में श्रमिकों की दशाय स्वास्थ्य कार्य के घंटे, न्यूनतम अनिवार्य मजदूरी, आवास की व्यवस्था एवं विशेष तौर पर महिला श्रमिकों के लिए प्रसव पूर्व एवं पश्चात सवेतन अवकाश तथा समान कार्य पर समान पारिश्रमिक के उपबंध दिये गये ।

श्रम की अवधारणा – श्रम एक स्वतंत्र तथा व्यापक अवधारणा है । श्रम केवल जीविका का साधन नहीं वरन मनुष्य कि सतर्कता भी है। समाज तथा व्यक्ति कि समस्त मानवीय प्रयास श्रम के अंर्तगत उन सब समर्थ व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए जिसके द्वारा देश कि श्रम शक्ति का निर्माण होता है।

श्रमिक अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व्यक्तित्व का प्रयोग करके नयी रीतियों को खोज करने उत्पादन कि प्रकिया को जन्म देता है। एवं आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यदि उस देश कि श्रम शक्ति कुशल नहीं है। अत: श्रम वह शक्ति है जो किसी राष्ट्र के विकाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

श्रमिक का अर्थ एवं परिभाषा – अर्थशास्त्र के अनुसार श्रमिक का अर्थ होता है मजदूरी करके पेट पालने वालों की जमात । किन्तु इतने सरल ढंग से श्रमिक की व्याख्या नहीं की जा सकती । कारखाने का मालिक भी कह सकता है कि अपने उद्योगों में रुपया लाकर उसका संचालन कर वह भी मजदूरी करके पेट पाल रहा है । अत: वह भी श्रमिक है। किन्तु जिस रुपया विषय के प्रतिपादन के लिए अर्थशास्त्र में अंग्रेजी में 'लेबर' तथा हिन्दी में 'श्रम' का विषय प्रतिपादित किया है। उसमें यह श्रेणी नहीं आती।

साधारण बोलचाल की भाषा में श्रम से हमारा तात्पर्य किसी भी कार्य को करने के लिये किया जाता है। किन्तु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है । अर्थशास्त्र में श्रम से मनुष्य के उन सभी शारीरिक और मानसिक प्रयत्नों का बोध होता है जो धनोपार्जन के दृष्टिकोण से किये जाते हैं। उस लाभ पाने वाले को श्रमिक कहा जाता है।'

परिभाषा – टॉमस के अनुसार – व्यक्ति द्वारा किया गया वह कार्य व प्रयत्न चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक परंतु जो पारिश्रमिक प्राप्त करने की आशा से किया जाता है, अर्थशास्त्र में वह व्यक्ति महिला हो या पुरुष श्रमिक कहलाता है।

डॉ. आम्बेडकर के श्रम कल्याण सम्बंधी विचार –श्रमिक समाजरूपी रथ की धुरी के समान है। जीवन एवं विकास के किसी भी क्षेत्र में श्रमिक के अस्तित्व को इन्कार नही किया जा सकता। दूसरे शब्दों में श्रमिक समाज के सच्चे विश्वकर्मा होते है जिनके परिश्रम के बल ही पेट में पलने वाले शिशु से लेकर कब्र में पांव लटकाये मानव का भरण पोषण एवं सरंक्षण होता है। किन्तु यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना रही है कि यहाँ श्रमिकों की जो उत्पादन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। उपेक्षा होती आयी है। इन्ही विश्वकर्माओं के र्सवागीण विकास का इन्द्रधनुष महान् मनीषी डॉ. आम्बेडकर की आंखों में सदा उगता डूबता रहता था।

डॉ. आम्बेडकर जीवन भर एक सरकार संरक्षित श्रमिक कल्याण व्यवस्था बनाये जाने की वकालत करते रहे। डॉ. आम्बेडकर ने श्रमिकों के कल्याण व हितों की रक्षा के लिए शुरूवाती तौर पर सन् 1936 ई. एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की गई यद्यपि यह दल एक राजनीतिक दल था। लेकिन अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस दल ने औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति सुधार हेतु निर्वाचित होने पर कानून बनाने का आश्वासन दिया था। डॉ. आम्बेडकर ने घोषणा पत्र में यह जिक्र किया कि जो कानून बनेंगे उसमें औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार प्रोन्नति पत्र में एवं जबर बर्खास्तगी को रोकने के सम्बंध में वैधानिक व्यवस्थाएँ की जाएगीं ताकि इस श्रेणी के श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा की जा सके साथ ही साथ काम के घण्टों के निर्धारण, पर्याप्त मजदूरी सवैतनिक अवकाश एवं काम करने के स्वच्छ

वातावरण की व्यवस्था की जाएगी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर लोक निमार्ण के कार्य प्रारंभ किये जायेगें।

बम्बई विधानसभा ने 1929 में विसा औद्योगिक विवाद निराकरण विधेयक को लागू किया। श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार दिलाने के लिए पहली हड़ताल 7 नवम्बर 1938 को घोषित की। उनका मानना था कि हड़ताल का उद्देश्य काम एवं कामगारों की दशा सुधारने का होना चाहियें। बहुमुखी प्रतिभा के विराट व्यक्ति डॉ. आम्बेडकर की पहचान अब तक श्रमिक आन्दोलन के क्षेत्र में एक जुझारू एवं संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में हो चुकी थी।

ष्इसी बीच अकस्मात् 2 जुलाई 1942 को डॉ. आम्बेडकर को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में एक सम्मानिय श्रम सदस्य के रूप में मनोनित किया गया। श्रमिक आन्दोलन के इतिहास में यह पहली घटना थी कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद पर लगातार (1942-1946) चार वर्षों तक रहकर बाबा साहेब आम्बेडकर ने श्रमिकों की विभिन्न तरह की समस्याओं को उजागर किया तथा उनके समाधान हेतू सतत प्रयास भी किया। डॉ. आम्बेडकर जब श्रम सदस्य के रूप में कार्यरत थे तो उन्होने 5 श्रम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया वे क्रमश: कोयला खान मजदूर कल्याण कोश, अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष, चूना पत्थर डोलोमाईट कारखाना श्रमिक कल्याण कोष एवं बीड़ी मजदूर कल्याण कोष थे। इसके पूर्व इन कारखानों में कार्यरत मजदूरों को सुविधा के नाम पर प्राप्य सुविधा नगण्य थी। इन कारखानों एवं खदानों में स्थित, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का आलम यह था कि मजदूरों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नही थी। शौचालय एवं इसी तरह की अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नही थी। डॉ. आम्बेडकर के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सरकार ने 1 दिसम्बर 1942 को इस श्रेणी के श्रमिकों के शिक्षा, स्वास्थय एवं आवास के लिए उद्योगपतियों को निर्देश जारी किया।ष वायसराय कौंसिल में जब 1942-46 के दौरान वे श्रम सदस्य के रूप में कार्यरत थे तो उस अवधि में भी उन्होने इसके लिए अथक प्रयास किया। इनके अनुसार सरकार को ऐसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ पर श्रमिक कल्याण से सम्बंधित मामले प्रश्नगत है और श्रमिक हित की रक्षा का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। सब कुछ श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए ही आम्बेडकर करना चाहते थे। वे मजदूरी का निर्धारण उत्पादकता के आधार पर करना चाहते थे और मजदूरी को इस आधार पर निर्धारित करवाना चाहते थे। जिसमें कि श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें।

डॉ. आम्बेडकर त्रिपक्षीय श्रमिक संगठन की स्थापना की मांग इसलिए करते थे के श्रमिक क्षेत्रों में श्रमिक समस्याओं पर कारगर ढंग से लाभकारी निर्णयों का कार्यान्वयन हो सके। इसके लिए डॉ. आम्बेडकर आमने सामने सरकारी प्रबंधन और श्रमिकों को बातचीत कर सम्मानजनक समझौता पर सहमत होने के लिए तैयार करना चाहते थे।

श्रमिकों को प्रजातांत्रिक ढंग से संगठित होने के लिए प्रेरित करते थे ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। सूत्र वाक्य में हम कह सकते है कि 'डॉ.आम्बेडकर सम्पूर्ण श्रमिक समुदाय के सर्वांगीण हित के शुभचिन्तक थे शहरी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर वे बल देते थे।'

डॉ. आम्बेडकर के विचारधारा का केन्द्र बिन्दु प्रथमत: व्यक्तिवाद एवं उसका उन्नयन है। इसलिए उन्होने आजीवन श्रमिकों को संगठित, शिक्षित एवं संघर्षशील होकर आर्थिक स्वतंत्रता, आत्ममर्यादा आत्मसम्मान एवं सामाजिक समानता प्राप्त करने लिए आंदोलन करने हेतु प्रेरित किया। क्योंकि इन्ही उपक्रमों के द्वारा समाज में सामाजिक न्याय एवं सर्वहित सुख की गंगोत्री प्रवाहित हो सकती है।

डॉ. आम्बेडकर श्रमिकों की हड़ताल के पक्ष में थे उनका श्रमिक कल्याण के सम्बंध में यह विचार था कि 'हड़ताल करना दीवानी अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं हड़ताल का मतलब है मजदूर किन शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है, यह बताने की स्वतंत्रता का अधिकार यदि स्वतंत्रता किसी का पवित्र अधिकार है तो मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार भी पवित्र है।'

डॉ. आम्बेडकर का श्रम कल्याण सम्बंधी यह विचार था कि श्रमिक ही इस देश निर्माणकर्ता होते है। उन्होने राष्ट्रीय आय जिसके उर्पाजन का एक महत्वपूर्ण साधन श्रम है ये श्रमिक आज अपनी आजीविका ही अर्जित नहीं करता बल्कि इसके अतिरिक्त भी मजदूरी के रूप में अर्जित कर राष्ट्रीय आय में सहयोग। यह अतिरिक्त आय जितनी अधिक होगी, पूँजी निर्माण में उतनी अधिक वृद्धि होगी।

डॉ. आम्बेडकर का मानना है कि बिना श्रमिकों के उत्थान, कल्याण तथा विकास के पूर्ण आर्थिक व सामाजिक विकास असम्भव है। श्रमिकों की समस्याओं को लेकर आगे आना चाहिए तथा उनके निराकरण के लिए संघर्ष करना चाहिए।

जब वे 1942 46 में वासराय की कार्यकारिणी परिषद् में सम्मानित श्रम सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। उस समय उन्होंने कारखाना श्रमिक, खदान श्रमिक, कृषि श्रमिक, कमजोर वर्ग के श्रमिक सभी के कल्याण सम्बंधी विचार रखे। उसमें कार्य के घण्टे, संवेतन अवकाश, बीमा या दुर्घटना क्षतिपूर्ति, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, औद्योगिक विवाद सुलझाने, बाल श्रमिक की शिक्षा, स्वास्थय व्यवस्था, आवास व्यवस्था,पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था व अन्य सुविधाओं के उनके श्रम कल्याण प्रबंध सम्बंधी विचारों को रखने का प्रयास किया जो आगे चलकर भावी योजनाओं के लिए सहायक हुई।

संयुक्त परामर्श – श्रम सदस्य के रूप में डॉ. आम्बेडकर ने श्रमिक वर्गों के कल्याण के अत्याधिक कार्य किए। वे श्रमिको की इच्छाओं, व्यसनों, सदगुणों और पीड़ाओं को जानते थे। अत: उन्होने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की बैठक बुलायी जिसमें नियोजक व श्रमिक एक साथ बैठ कर संयुक्त परामर्श दे सकें। जिसमें श्रमिक अपनी दशा व दिशा के बारे में खुलकर नियोजकों को बता सके ताकि उनकी जरूरतों व सुविधाओं से नियोजक वंचित हो सकें।

दि इंडियन माईन्स एक्ट में 1945 में डॉ. आम्बेडकर ने एक अध्यादेश के माध्यम से दो बार संशोधन किया जिसमें खदान मालिकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि जिन संस्थाओ में महिला श्रमिक कार्यरत है। वहां शिशु सदन स्थापित तथा संचालित किये जाये। दुसरा संशोधन फरवरी 1946 खदान में कार्यरत महिला तथा पुरूष श्रमिकों के लिए अलग अलग स्नानग्रहों की सुविधा उपलब्ध कराये। इसका महत्व बताते हुए डॉ. आम्बेडकर ने कहा था कि इससे खनिक के आत्मसम्मान में सुधार होना निश्चित है और मुझे भरोसा है कि यह अत्यधिक वांछनीय है कि उसे स्वच्छ व्यक्ति के रूप में और यदि सम्भव हो तो साफ कपड़ों में घर लौटाना चाहिए। खदान के मुहाने पर स्नान और शिशु सदनों की स्थापना के नियमों को डॉ. आम्बेडकर के श्रम मंत्रित्व काम में ही अंतिम रूप दिया जा चुका था परन्तु इनका प्रकाशन 23 जुलाई 1946 को हुआ जबकि वे मंत्रिमण्डल छोड़ चुके थे।

औद्योगिक रोजगार आदेश डॉ. आम्बेडकर ने केन्द्रीय सभा में दिनांक 8 अप्रैल 1946 को एक बिल दि इंडस्ट्रीयल एम्प्लायमेंट बिल प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य था नियोजन की शर्ते लिखित में हो, नियोजन की शर्ते और दशाएँ इस हेतु नियुक्त अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकृत की जायें और किसी स्थापना में नियोजन की शर्ते व दशाएँ क्या हैं। उन्हे एक रजिस्टर के रूप में रखा जाए। यह बिल दिनांक 1 अप्रैल 1946 को पारित किया गया। यह उपाय समग्र रूप से स्वास्थय बीमा योजना से सम्बंधित था।

माइन्स मेटरनिटि बेनीफिट एक्ट (1941) डॉ. आम्बेडकर ने श्रम मंत्री के अपने कार्यकाल में 'दि माइन्स मेटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1941' को दो बार संशोधित किया। 1945 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जमीन के अंदर काम करने वाली महिला श्रमिकों के लिए लाभ की अवधि बढ़ा कर 16 सप्ताह करना था। 10 सप्ताह प्रसव के पूर्व और 6 सप्ताह बाद में। अधिकृत अनुपस्थिति की अवधि बढ़ाने के साथ ही मुगतान की मात्रा भी बढ़ा दी गई। इन उपायों का आशय यह था कि भूमि के नीचे काम करने वाली महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगे। यह एक्ट भावी योजना प्रसूति अधिनियम 1961 के रूप में सामने आया।

'कारखाना अधिनियम में संशोधन श्रम सदस्य के रूप में डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने कारखाना अधिनियम में दो संशोधन किये। 1945 को संवेतन छुटिट्यों के प्रस्ताव के लिए अधिनियम पारित किया था। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए दैनिक और साप्ताहिक कार्य के घण्टे अधिक या अतिरिक्त अवधि तक कार्य करने पर दुगना पारिश्रमिक का प्रावधान अधिनियम प्रस्तावित किया था।'

डॉ. आम्बेडकर के श्रम कल्याण विचार तथा श्रमिक कल्याण का भावी योजनाओं का मूल्यांकन – डॉ. आम्बेडकर एक महान मानववादी तथा विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इसलिए एक समाज वैज्ञानिक के रूप में उन्होने समाज एवं उत्पादन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन श्रमिकों की दशा पर गहन चिंत्तान किया और इसके निदान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। इनके अनुसार श्रमिकों के कल्याण के लिए भावी योजना बनाने हेतू सरकार की ओर से निम्न उपायों का अनुसरण किया जाना चाहिये।

1. श्रमिकों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने सम्बंधी नीति का निर्माण।
2. राजकीय सरंक्षण युक्त श्रमिक कल्याण व्यवस्था।
3. श्रम विवादों को सुलझाने हेतू त्रिपक्षीय ट्रिब्युनल की स्थापना।
4. राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी हेतु श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर सर्वहितकारी श्रम संगठन की स्थापना।

डॉ. आम्बेडकर सामाजिक, आर्थिक, असमानता को दूर करने हेतु कृषि के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के हिमायती थे। कृषि को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित करते हुए वे सामूहिक एवं सहकारी कृषि व्यवस्था के पक्षधर थे। राजकोषिय सुदृढता के लिए इस तरह के कृषि से प्राप्त उत्पादन के आधार पर वे भूमि कर की आर्थिक व्यवस्था के भी सर्मथक थे। किन्तु डॉ. आम्बेडकर के इस बहुमूल्य श्रमिक कल्याण संबंधी विचार को समर्थन प्राप्त नही हुआ। लेकिन बाद में वर्षो में भू पतियों से अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि सिलिंग एक्ट के तहत् लेकर भूमिहीनों में वितरण करने के सरकारी निर्णय डॉ. आम्बेडकर के ही सुझाये नए बहुमूल्य श्रमिक कल्याण सम्बंधी नीति पर आधारित है। इतना ही नहीं 1970 के दशक के बाद सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना आदि का कार्यन्वित भी आम्बेडकर के सपनो को साकार करने का उत्साहवर्धक प्रयास है।

'कारखाना अधिनियम में संशोधन (1948)' डॉ. आम्बेडकर के मजदूर सदस्य रहते हुए कारखाना अधिनियम में तीन बार संशोधन किया गया। संवेतन अवकाश क्षतिपूर्ति अवकाश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। यह अधिनियम उस समय तो पूर्णत: अधिनियम नही बन पाए थे। लेकिन बाद में सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की इन्ही योजनाओं को भावी योजनाओं के रूप में खड़ा करवाया।

बम्बई विधान परिषद् में श्रमिकों से सम्बंधित विधेयक पेश करते हुऐ। डॉ. आम्बेडकर ने कहा कि, महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ मिलना चाहिए। यह राष्ट्रहित में है कि, कामगार माताओं को गर्भाअवस्था एवं प्रसूति के बाद पर्याप्त सहायता, सुरक्षा एवं आराम मिलना चाहिए। उक्त विधेयक इन्ही मान्यताओं पर आधारित भी है, कामगारों की मातृत्व सुविधा को सरकार के साथ साथ न्यूनतम मजदूर को भी प्रदान करना चाहिए। इसी का परिणाम हुआ की रोजगार के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण बंद हुआ एवं सरकार को महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रसूति हितलाभअधिनियम 1961 के नाम से वृहद कानून का निर्माण करना पड़ा। इस प्रकार डॉ. आम्बेडकर के द्वारा बनाया गया। माईन्स मेटरनिटि बेनीफिट एक्ट (1941)। महिला श्रमिकों के लिए भावी योजना के रूप में प्रसूति अधिनियम (1961) के रूप में आया।

डॉ. आम्बेडकर खान श्रमिकों की समस्या से सर्वदा चिंतित रहते थे और उन्हें समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत् थे। फलत: बाल समस्याओं के निदान के लिए भी डॉ. आम्बेडकर के विचारों को दृष्टि में रखते हुऐ तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं बाद में स्वतंत्र भारत के संघीय सरकार को बाल अधिनियम 1960 का निमार्ण करना पड़ा। यह अधिनियम भी डॉ. भी राव आम्बेडकर के द्वारा ही सुझाया गया था। जो कि भावी योजना के लिए साकार हुआ। 'दि इंडियन ट्रेड युनियन' बिल भी डॉ. आम्बेडकर द्वारा केन्द्रीय सभा में 1946 को पारित किया गया था। परन्तु यह उनके कार्यकाल में पारित नही हो सका था। यह 1947 में पारित हुआ। इसके प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शर्तों की संतुष्टि पर एक श्रम संघ को मान्यता देना अनिवार्य बनाया गया था। यह संघ औद्योगिक विवाद को भी सुलझाने व उनकी जरूरतों को ध्यान रखने का प्रयास करता है। इस तरह यह भी भावी योजना के लिए सहायक सिद्ध हुआ। इसी प्रकार श्रमिकों के लिए आवश्यक रूप से आवास की व्यवस्था कार्य के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था चिकित्सा की व्यवस्था तथा पुरुष व महिला को समान कार्य के लिए समान भत्तो की व्यवस्था की योजना को लाने में योगदान दिया। जो सरकार द्वारा आज लागू कर दी गई है।

निष्कर्ष – भारत रत्न डॉ. आम्बेडकर मात्र दलितों के मसीहा संविधान शिल्पी आधुनिक मनु ही नहीं थे बल्कि वे भारत के कोटि-कोटि श्रमिकों के दिल की धड़कन एवं जीने का मकसद भी थे। तभी तो वे अहर्निश श्रमिकों की समस्या पर गहन चिन्तन करते थें। और उसके समाधान हेतु यथाशन्य प्रयास भी करते थे। उन्होने भारतीय श्रमिकों को जब अमानवीय एवं दुर्दमनीय स्थिति में शोषणपूर्ण मजदूरी की दर पर अपने श्रम को बेचने हेतू मजबूर देखा तो उनके लिए कल्याणकारी कार्य करते की ठान ली। उनका मानना था कि धनी एवं गरीब, पूँजीपति एवं श्रमिक तथा ऊँच नीच के नाम पर जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति इस तरह से दयनीय एवं सोचनीय रखी जायेगी। तब तक देश के कृषि या उद्योग किसी भी क्षेत्र में आशातीत सफलता की कामना मात्र मृगमरीचा एवं दिवास्वप्न ही सिद्ध होगी। खदानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए काम के घण्टें, मजदूरी

की दर, कार्यस्थल की स्थिति, अन्यायपूर्ण श्रम सम्बंधी नीति आदि के सुधार सम्बंधी डॉ. आम्बेडकर के विभिन्न दृष्टिकोण का श्रमिक की आर्थिक, सामाजिक स्थितियों के सम्बंध में डॉ. आम्बेडकर के विचार बहुआयामी पक्षों का गवेष्णात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची: –

1. बी.एल. मेघवाल (1990): 'भारत रत्न' डॉ. बी. आर. आम्बेडकर संघीय प्रकाशन, जयपुर।
2. डॉ. आ.सी.सक्सेना (1987–1988) 'श्रम समस्याएँ एवं समाज कल्याण' के नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ।
3. वी.सी. सिन्हा (1989). 'श्रम अर्थशास्त्र' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. अपने श्रम कानून जानिये (2000) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल भोपाल।
5. बाबा माहब डॉ. आम्बेडकर सम्पूर्ण खण्ड – 20 अगस्त (2003) : डॉ. आम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।
6. बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय पष्ठ 21 अगस 2003 डॉ. आम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।
7. चतुर्वेदी महेशचन्द, चतुर्वेदी मिथलेश चन्द्र 'भय श्रम अर्थशास्त्र एवं श्रम समस्याये' 2001 पेज –3

****